राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक मामलात डिविजन

द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन

द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 7 मई 1999 को वर्ष 2000 से 2005 की, पाँच वर्ष की अवधि हेतु अपना प्रतिवेदन 31 दिसम्बर 1999 तक देने के निर्देश के साथ किया गया था। आयोग का कार्यकाल समय–समय पर बढ़ाया गया। आयोग द्वारा महामहिम राज्यपाल को दिनांक 30 अगस्त 2001 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व आयोग द्वारा वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 23 फरवरी 2001 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसे कार्रवाई के ज्ञापन के साथ दिनांक 28 मार्च 2001 को सदन के पटल पर रखा गया था।

2. द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन जो कि 1 अप्रेल 2000 से प्रारंभ पाँच वर्षों की अवधि से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई (4) तथा 243 वाई (2) के तहत सदन के पटल पर रखा जा रहा है। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को राशि अंतरण, अनुदान एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में की गई सिफारिशों का सारांश अध्याय – IX में दिया गया है।

3. द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें दी हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

(i) राज्य के वास्तविक शुद्ध कर राजस्व (मनोरंजन कर के अलावा) का 2.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने की सिफारिश की है। इस अंतरण को आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण 2001 की जनसंख्या के आधार पर

क्रमशः 76.6 एवं 23.4 प्रतिशत किये जाने की सिफारिश की गई है। इन संस्थाओं के मध्य वितरण का तरीका प्रतिवेदन के अध्याय – VIII में दिया गया है।

(ii) आयोग द्वारा शुद्ध कर राजस्व के 2.25 प्रतिशत हिस्से में से 0.05 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगमों को छोड़कर) को प्रोत्साहन राशि के रूप में अप्रयुक्त स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर दिये जाने की सिफारिश की गई है। आयोग द्वारा अवार्ड अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रोत्साहन कोष में अवशेष रही राशि को मय ब्याज, यदि कोई अर्जित किया गया हो, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगमों को छोड़कर) को जनसंख्या के आधार पर वितरित किये जाने की सिफारिश की गई है।

(iii) राज्य के वास्तविक शुद्ध मनोरंजन कर राजस्व का 15 प्रतिशत हिस्सा नगरीय स्थानीय निकायों को संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र से प्राप्त मनोरंजन कर राजस्व के अनुपात में वितरित किये जाने की सिफारिश आयोग द्वारा की गई है।

(iv) आयोग द्वारा खनिजों से राज्य को प्राप्त शुद्ध रायल्टीज के 1 प्रतिशत हिस्से का वितरण संबंधित जिले में संकलित राशि के अनुपात में ग्राम पंचायतों को दिये जाने की सिफारिश की गई है एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित राशि के आंकड़े उपलब्ध होने की स्थिति में राशि का वितरण इस आधार पर किये जाने की सिफारिश की गई है।

(v) आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भू–राजस्व की एवज में देय सामान्य प्रयोजन अनुदान एवं नगरीय स्थानीय निकायों को देय सामान्य प्रयोजन अनुदान राशि दिये जाने की व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की है एवं यह अनुदान राशि 2001 की जनसंख्या के आधार पर दिये जाने की संभावना पर विचार किये जाने की अपेक्षा की गई है।

4. द्वितीय राज्य वित्त आयोग की उक्त सिफारिशों को सरकार द्वारा निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है:

(i) वर्ष 2000–2001 के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिश एवं मानदण्ड के अनुरूप पूर्व स्थानान्तरित की गई राशि यथावत रखी जाये एवं आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

(ii) वर्ष 2001–2002 से 2004–2005 तक पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व (मनोरंजन कर को छोड़कर) की वास्तविक प्राप्तियों का 2.20 प्रतिशत हिस्से का अंतरण आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किये जाने की सिफारिश को स्वीकार किया गया।

(iii) राज्य के शुद्ध कर राजस्व (मनोरंजन कर को छोड़कर) की वास्तविक प्राप्तियों का 0.05 प्रतिशत हिस्सा प्रोत्साहन राशि के रूप में ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगमों को छोड़कर) को वर्ष 2001–2002 से 2004–2005 तक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया :

(क) ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि को जिला परिषद के स्थान पर राज्य स्तर पर ही निधि में रखा जायेगा, जिसका संचालन निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा ; एवं

(ख) वर्ष 2004–2005 तक उपयोग में नहीं ली गई राशि का ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगमों को छोड़कर) में वितरण नहीं किया जाकर अनुपयोगी राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(iv) शुद्ध मनोरंजन कर की वास्तविक प्राप्तियों का 15 प्रतिशत हिस्सा नगरीय स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में प्राप्त राजस्व के अनुपात में अंतरण किये जाने संबंधी आयोग की सिफारिश को वर्ष 2001–2002 से 2004–2005 के लिए स्वीकार किया गया।

(v) खनिजों से प्राप्त रायल्टी की शुद्ध प्राप्तियों में से 1 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिये जाने संबंधी आयोग की सिफारिश के संबंध में खान विभाग द्वारा आयोग के विचारणीय बिन्दुओं (Terms of Reference) के तथा इसकी व्यावहारिकता के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत परीक्षण के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

(vi) पंचायती राज संस्थाओं को भू–राजस्व की एवज में दिये जा रहे प्रति व्यक्ति सामान्य अनुदान को जारी रखने की आयोग की सिफारिश को निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किया गया :

"भू–राजस्व की एवज में प्रति व्यक्ति सामान्य प्रयोजन अनुदान दिये जाने की व्यवस्था को वर्ष 2001–2002 से बंद किया जाए एवं इसके स्थान पर वर्ष 2001–2002 से ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत देय अनुदान का 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तुल्य अनुदान (Matching grant) के रूप में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए।"

(vii) नगरीय स्थानीय निकायों को देय सामान्य प्रयोजन अनुदान को जारी रखने एवं वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर दिये जाने की सिफारिश पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विस्तृत विचार एवं परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

5. आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में अन्य सुझाव तथा सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार एवं परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

6. **क्रियान्विति :**

(i) राज्य के वास्तविक शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किए जाएंगे।

(ii) राज्य के वास्तविक शुद्ध मनोरंजन कर से अंतरण के संबंध में आदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रसारित किए जाएंगे।

(iii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभागों द्वारा प्रसारित किए जाएंगे।

(प्रद्युम्न सिंह)
वित्त मंत्री

दिनांक 26 मार्च 2002